



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
कैडर कंट्रोल यूनिट
(Cadre Control Unit)

GCCO/II/3/PROM/14/2025-ADMN/ 450

Dated : 01.06.2026

स्थापना आदेश संख्या सीसीयू – 38/2026
ESTABLISHMENT ORDER NO. CCU – 38/2026

दिनांक : 01.06.2026
DATED: 01.06.2026

(DPC Reference Number : Jaipur_CGST/Supdt_CEx/Reg/2026/30-12-2025/033)

निम्नलिखित निरीक्षको को, पैनल/रिक्ति वर्ष 2026 के लिए, वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (रु. 47,600/- से रु. 1,51,100/-) तथा अन्य स्वीकृत भत्तों सहित, जैसे भी देय हैं, अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) की श्रेणी में, अधीक्षक पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से, तदर्थ आधार पर, पदोन्नत किया जाता है :

The following Inspectors are hereby promoted to the grade of Superintendent, Group 'B' (Gazetted), in Level-8 of Pay Matrix Rs. 47,600/- to Rs.1,51,100/- plus other allowances, as admissible, for the panel/vacancy year 2026 **on adhoc basis**, with effect from the date of assumption of the charge of the promoted post:

Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth	Present Place of Posting (Commissionerate)
1	2	3	4
1.	Sunny Garg	09.07.88	CGST Udaipur
2.	Bharat Gupta	18.04.90	CGST Udaipur

1.2 उपरोक्त अधिकारियों की अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) के ग्रेड में पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है। उपरोक्त पदोन्नति अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) के ग्रेड में निरंतर कार्य या नियमित पदोन्नति या किसी अन्य सेवा लाभ के लिए किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान

नहीं करती है। ऐसी सेवा की अवधि को वरिष्ठता के लिए या आगे पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। सरकार के पास तदर्थ पदोन्नति को समाप्त करने और अधिकारी को उस पद पर वापस लाने का अधिकार सुरक्षित है, जहां से उसे पदोन्नत किया गया है।

The promotion of the aforesaid officers to the grade of Superintendent, Group 'B' (Gazetted) is purely on adhoc basis. It does not confer any right for any claim for continued officiation or regular promotion or any other service benefit in the grade of Superintendent, Group 'B' (Gazetted). The period of such service will not be counted for seniority or as qualifying service for further promotion. The government reserves the right to terminate the adhoc promotion and revert them to the post from which they have been promoted.

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति "इन-सीटू" आधार पर की जाती है अर्थात् उक्त अधिकारी अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) उसी स्थान पर काम करना जारी रखेंगे, जहां वे वर्तमान में पदस्थापित हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) के लिए उनके पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

The promotion of the aforesaid officers is made on "IN-SITU" basis i.e. such Superintendent, Group 'B' (Gazetted) shall continue to work at the same place where they are presently posted till their posting orders for Superintendent, Group 'B' (Gazetted) is issued by the Competent Authority.

3. इसके अलावा, इस कार्यालय स्थापना आदेश संख्या 26/2026 दिनांक 6 अप्रैल 2026 व 32/2026 दिनांक 4 मई 2026 की निरंतरता में, श्री कैलाश चंद सैनी एवं श्री प्रिंस मेहरचंदानी जो तदर्थ अधीक्षक के रूप में क्रमशः सीजीएसटी जयपुर एवं अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत हैं, को अधीक्षक, समूह 'बी' (राजपत्रित) के ग्रेड में, वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (रु. 47,600/- से रु. 1,51,100/-) तथा अन्य स्वीकृत भत्तों सहित, जैसे भी देय हैं, नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

Further, in continuation of this office Establishment Order No. 26/2026 dated 6th April 2026 and 32/2026 dated 4th May 2026, Shri Kailash Chand Saini and Shri Prince Meharchandani presently working as adhoc Superintendent in CGST Jaipur and CGST Audit Jaipur respectively, are promoted to the grade of Superintendent, Group 'B' (Gazetted), in Level-8 of Pay Matrix Rs. 47,600/- to Rs.1,51,100/- plus other allowances, as admissible, **on regular basis.**

4. उपरोक्त पदोन्नति पर, पदोन्नत पद में वेतन निर्धारण के विकल्प का लाभ, यदि देय हो, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1667551701810 दिनांक 13 सितंबर 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त नामित अधिकारियों को उपलब्ध होगा। यदि विकल्प का लाभ देय है, तो वे विकल्प का प्रयोग उनकी पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर कर सकते हैं।

निर्धारित अवधि के बाद विकल्प प्रस्तुत करने में विलंब के क्षमादान के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

On promotion, benefit of option for fixation of pay in the promotional post, if admissible, shall be available to the officers named above in terms of provisions contained in the DoPT's O.M. No. DOPT-1667551701810 dated 13th September 2022. They may exercise the option, if benefit of the same is admissible, within one month from the date of their promotion. No request for condonation of delay in submitting the option after the stipulated period will be entertained.

5. उल्लेखित अधिकारियों की उपरोक्त पदोन्नति, पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जरनैल सिंह बैच के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी।

The promotion of the aforesaid officers shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases in the matter of reservation in promotion.

6. उल्लेखित अधिकारियों की उपरोक्त पदोन्नति, श्री समीरन रॉय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2008 की डब्ल्यू.पी.सी.टी संख्या 261 के परिणाम के अधीन है।

The promotion of the aforesaid officers is subject to the outcome of W.P.C.T No. 261 of 2008 filed by Shri Samiran Roy & Others Vs. Union of India and others before the Hon'ble High Court of Calcutta.

7. उपरोक्त पदोन्नति बोर्ड के पत्र एफ. संख्या ए.32022/67/2018-ऐ.डी. IIIA, दिनांक 12 जून 2025 के संदर्भ में अंतिम परिणाम के भी अधीन है।

The aforesaid promotion is also subject to the final outcome with reference to Board's letter F. No. A.32022/67/2018-Ad.IIIA, dated 12th June 2025.

8. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति, वर्तमान में लंबित किसी भी मुकदमेबाजी/मामलों आदि या जोकि किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष वरिष्ठता/पदोन्नति/आरक्षण के मुद्दे पर भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, के परिणाम के अधीन है।

The promotion of the aforesaid officers is subject to outcome of any litigation/cases etc. pending presently or which may arise in future on the issue of seniority/promotion/reservation before any judicial forum.

9. अधिकारियों को सतर्कता की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होने पर ही, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

The officers should be allowed to join the promoted post, if clear from the vigilance angle.

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by
Utkarsha
Date: 01-06-2026
17:30:07

(उत्कर्ष)

संयुक्त आयुक्त
(Utkarsha)
Joint Commissioner

Dated : 01.06.2026

GCCO/II/3/PROM/14/2025-ADMN/ 450
प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित अधिकारी।
2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ऑडिट जयपुर/ऑडिट जोधपुर/अपील जयपुर/अपील जोधपुर/सीमा शुल्क जोधपुर (मुख्यालय - जयपुर)।
3. अधीक्षक (प्रशासन)/(सतर्कता), सीसीओ, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी / वेतन एवं लेखाधिकारी/अधीक्षक(सतर्कता)/प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय/स्था/डीडीओ) सीजीएसटी जयपुर / उदयपुर / ऑडिट जयपुर । (सभी संबंधित कृपया विभागीय वेबसाइट से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं)।
5. सर्विस बुक / गार्ड फाइल / नोटिस बोर्ड / संबंधित कर्मचारी संघ।
6. जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, वेबमास्टर।